

राजस्थान सरकार  
निदेशालय, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवायें राज0 जयपुर

क्रमांक :- ई-33/लै.टे./1149/2018/ 108

दिनांक : 1.2.18

आदेश

श्री सुरेश चन्द्र सोलंकी, लैब टेक्नीशियन अधीनस्थ उम्मेद चिकित्सालय जोधपुर जिनकी जन्म तिथि 14.11.1958 है को 60 वर्ष की अधिवार्षिकी आयु पूर्ण करने पर दिनांक 30.11.2018 को मध्याह्न पश्चात् राज्य सेवा से सेवानिवृत्त किया जाता है इनके विरुद्ध:-

- (1) राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम-16 के अधीन कोई विभागीय जाँच विचाराधीन/लंबित नहीं है।
- (2) राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम-19 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लंबित नहीं है।
- (3) कोई न्यायिक कार्यवाहिया विचाराधीन/लंबित नहीं है।

( राकेश शर्मा )

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये  
राजस्थान, जयपुर।

क्रमांक :- ई-33/लै.टे./1149/2018 108

दिनांक 1.2.18

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निदेशक पेंशन एवं पेंशनर्स वेलफेयर विभाग राज0 जयपुर।
2. अधीक्षक, उम्मेद अस्पताल, जोधपुर।
3. संयुक्त निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये जोन-जोधपुर।
4. प्रभारी सर्वर रूम मुख्यालय को प्रेषित कर लेख है कि उक्त आदेश को विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करें।
5. श्री सुरेश चन्द्र सोलंकी, लैब टेक्नीशियन को द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
6. आदेश/निजी पत्रावली।

उक्त कर्मचारीयो के विरुद्ध यदि आडिट पेरा या अन्य कोई वसूली बकाया हो तो उसकी वसूली तत्काल कर निदेशालय को अवगत करावे।

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये  
राजस्थान, जयपुर।